न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—सांचौर

पीठासीन अधिकारी :— श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :— 14/2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2025/201

अनवान

1. सांवलाराम देवासी पुत्र खीमाराम, जाति देवासी, निवासी पलादर, तहसील सांचौर, जिला जालोर

प्रार्थी.................

1. राज्य सरकार, जरिये तहसीलदार (भूमिधारी)— सांचौर।
2. केहरा पुत्र खेमा, जाति देवासी, निवासी पलादर, तहसील सांचौर, जिला जालोर।
3. काला पुत्र अचला जाति कलबी निवासी पलादर, तहसील सांचौर, जिला जालोर ।
4. हाजा पुत्र अचला जाति कलबी निवासी पलादर, तहसील सांचौर जिला जालोर।
5. कोनुदेवी पत्नी कालाराम जाति कलबी निवासी पलादर, तहसील सांचौर, जिला जालोर।
6. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक शाखा सांचौर।
7. शाखा प्रबंधक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, शाखा—सांचौर।

अप्रार्थीगण............

प्रार्थना—पत्र बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती करने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :— 14.08.2025

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ओमप्रकाश सुथार उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 2 से 5 की ओर से इकबालिया जवाब। अप्रार्थी संख्या 6 व 7 तर्क।
3. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:— निर्णय :—

दिनांक :— 29.08.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी का खातेदारी खेत मौजा पलादर पटवार हल्का विरोल के खाता संख्या 314 खसरा संख्या 494 [illegible] हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 495 रकबा 2.92 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम खसरा संख्या 498 रकबा 1.80 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम कुल खसरा 03 कुल रकबा 4.76 हैक्टेयर का आया हुआ है तथा इसी प्रकार मौजा पलादर, पटवार हल्का विरोल के खाता संख्या 45 खसरा संख्या 499 रकबा 0.68 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा संख्या 499/1024 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 500 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 501 रकबा 0.69

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:28:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.42 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिस पर खेतीबाड़ी एवं कब्जाकाश्त प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04, 05 का है तथा गिरदावरी भी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04, 05 नियमित रूप से अदा करता आ रहे है। प्रार्थी का नाम सांवलाराम देवासी है। प्रार्थी के उक्त खातेदारी खेत के राजस्व रेकर्ड में भूलवश सावलाराम देवासी के स्थान पर मेजला दर्ज हो गया है, जबकि मेजला नाम प्रार्थी का कभी नहीं रहा। प्रार्थी का सम्मानजनक नाम सांवलाराम देवासी है जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड तथा बैंक पासबुक आदि से साबित है। राजस्व रेकर्ड व प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में नाम में भिन्नता की वजह से प्रार्थी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे– कृषि ऋण लेने, भूमि संपरिवर्तन कराने, खेत का कृषि आधार अनुदान प्राप्त करने, कृषि व तारबंदी सब्सिडी व अनुदान तथा भुमि सुधार की अन्य योजना की अनेक दुविधाए होने से श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थनापत्र पेश है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार सांचौर को आदेश दिया जावे कि मौजा पलादर पटवार हल्का विरोल के खाता संख्या 314 खसरा संख्या 494 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 495 रकबा 2.92 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा संख्या 498 रकबा 1.80 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम कुल खसरा 03 कुल रकबा 4.76 हैक्टेयर का आया हुआ है तथा इसी प्रकार मौजा पलादर, पटवार हल्का विरोल के खाता संख्या 45 खसरा संख्या 499 रकबा 0.68 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम, खसरा संख्या 499/1024 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 500 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन, खसरा संख्या 501 रकबा 0.69 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.42 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम मेजला के स्थान पर सांवलाराम देवासी दर्ज किया जावें।

2. प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण 6, 7 हित प्रभावित ना होने पर अप्रार्थी सं. 6 से 7 को तर्क किया गया। अप्रार्थी सं. 2 से 5 का ईकबालिया जवाब , अप्रार्थी सं. 1 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित ।

3. हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी, अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा पलादर पटवार हल्का विरोल के खाता संख्या 314 खसरा सख्या 494 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 495 रकबा 2.92 हैक्टेयर, खसरा संख्या 498 रकबा 1.80 हैक्टेयर कुल खसरा 03 कुल रकबा 4.76 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम भूलवंश मेजला लिख दिया गया जबकि प्रार्थीया का नाम हमेशा से ही सांवलाराम देवासी ही है प्रार्थी के नाम से बने अन्य किसी भी दस्तावेज में मेजला अंकित नही है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त खसरा नंबर में प्रार्थी का नाम मेजला पुत्र खेमा से दुरुस्त कर सांवलाराम पुत्र खेमा लिखे जाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:28:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

अनवान सांवलाराम बनाम सरकार
मुकदमा नम्बर 14 / 2025
निर्णय तारीखः– 29.08.2025

4. हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक व मतदाता परिचय पत्र का अवलोकन किया, उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त तमाम दस्तावेजात् के अनुसार प्रार्थी का नाम मेजला की बजाय **सांवलाराम देवासी** बदला जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा पलादर पटवार हल्का विरोल के खाता संख्या 314 खसरा संख्या 494 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा संख्या 495 रकबा 2.92 हैक्टेयर, खसरा संख्या 498 रकबा 1.80 हैक्टेयर कुल खसरा 03 कुल रकबा 4.76 हैक्टेयर में दर्ज प्रार्थी का नाम मेजला की बजाय **सांवलाराम देवासी** के नाम की राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पालनार्थ तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक **29.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर (जालोर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 18:28:53 IST
Reason: SelfAttested